

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

आरएफपी संदर्भ सं :
एनएचबी/डीआरएस/A-1552 / 2018-19
दिनांक: 12-02-2019

प्रस्ताव हेतु अनुरोध -
आवास वित्त कंपनियों के विशेष/फॉरेंसिक लेखा परीक्षा के लिए सीए फर्म/कंपनी का पैनल

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी से 5वीं मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187000

ई-मेल: ashok.kumar@nhb.org.in, rita.bhattacharya@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/ निविदा/ आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	12-02-2019
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	27-02-2019 : 1500 बजे
3.	बैंक की साइट (अर्थात www.nhb.org.in) से बोली दस्तावेजों की बिक्री / डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और समय	26-03-2019 : 1800 बजे
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	26-03-2019 : 1800 बजे
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	27-03-2019 : 1500 बजे
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना जमा-राशि	50,000/- रुपये
8.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक चौथा तल, कोर 5-ए इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

टिप्पणी: -

- बोली उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए गए हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। केवल नामित संपर्क कर्मी को ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से किसी परिवर्तन की सूचना प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक या बैंक), भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतीत करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलूरू, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है।

3. उद्देश्य:

आरएफपी का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों के विशेष/फोरेसिक लेखा परीक्षा के लिए सीए फर्मों/कंपनियों से प्रस्ताव के लिए आग्रह करना है।

4. कार्य क्षेत्र :

सीए फर्मों/कंपनियों को इस आरएफपी में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। बैंक आवास वित्त

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

कंपनियों के विशेष/फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, जब और जब आवश्यक हो, सूचीबद्ध सीए फर्मों/कंपनियों से वाणिज्यिक बोलियाँ आमंत्रित करेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यावसायिक प्रस्तावों को आमंत्रित करने के समय विशेष रूप से कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाएगा।

5. संविदा की अवधि:

संविदा आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी और संतोषजनक वार्षिक समीक्षा के अधीन 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

टिप्पणी :

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों तथा सेवाओं की व्याख्या करने के लिए संपूर्ण नहीं है जिनके लिए परामर्शदाता जिम्मेदार है। निविदा में सहभागिता द्वारा बोलीदाता निःसंदेह यह सन्निहित करता है कि यदि इस आरएफपी में कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं विशेष रूप से वर्णित नहीं की गई हैं या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/संशोधन करने पड़ते हैं तथा उन्हें रा.आ.बैंक द्वारा संविदा के उपयुक्त निष्पादन हेतु आवश्यक या उपयुक्त कहा गया है तो ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं (प्रयोज्य बदलावों के साथ, यदि कोई हो) इस आरएफपी के तहत सेवाओं के क्षेत्र के भीतर निहित तथा शामिल समझी जाएंगी तथा उसी हद तक और उसी तरीके से बोलीदाता का प्रत्युत्तर जैसे कि इस आरएफपी या बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से वर्णित किया हो।

6. बोलीदाताओं को अनुदेश

6.1 सामान्य:-

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- अनुबंधात्मक करार का निष्पादन होने तक बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व समग्रता समझौते के अलावा किसी भी बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा। सफल बोलीदाता की पहचान, बोलियों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन के बाद, समग्रता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित करार का भाग होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, प्रस्तुत बोली के संबंध में कथित संविदा-पूर्व समग्रता समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किया गया कार्य/गलती के लिए उन पर संविदा-पूर्व समग्रता समझौता बाध्यकारी होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संपूर्ण अधिकार में पात्र परामर्शदाता को शॉर्ट लिस्ट करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्दिष्ट चयन मापदंड को लागू कर सकता है।
- इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें व अस्वीकरण स्वीकार हैं।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री अशोक कुमार सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: ashok.kumar@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187049	सुश्री रीता भट्टाचार्य उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: rita.bhattacharya@nhb.org.in दूरभाष: 011-39187033
---	--

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व सोमवार से शुक्रवार, अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के समक्ष उठाया जा सकता है।
- बोलीदाता भारत में किसी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

6.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास इस आरएफपी में दी गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में 26-02-2019 18:00 बजे तक या उससे पूर्व ईमेल अथवा डाक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के बोली पूर्व बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

6.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए और तकनीकी बिड वाले लिफाफे में डाला जाना चाहिए; जिसके अभाव में बोली का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

6.5 विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर तकनीकी बोली में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6.8 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक समय-समय पर, इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/ स्थानों को जोड़ने/ हटाने का अधिकार भी रखता है।

6.9 पात्रता एवं मूल्यांकन मानदंड

पात्रता मानदंड

आवेदक द्वारा नीचे दिए गए सभी मानदंडों को पूरा करना चाहिए: -

- क. आवेदक फर्म को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या पार्टनरशिप फर्म 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत या इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के तहत पंजीकृत (परिवर्तित) होना चाहिए। कंपनियों / फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति के माध्यम से कानूनी स्थिति का आंकलन किया जाएगा।
- ख. आवेदक फर्म को ऑडिट / फॉरेंसिक ऑडिट के क्षेत्र में कम से कम दस (10) वर्ष के अनुभव वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के रूप में होना चाहिए।
- ग. आवेदक फर्म में फॉरेंसिक ऑडिट के क्षेत्र में प्रासंगिक योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम 5 व्यक्ति (पूर्णकालिक) होने चाहिए।
- घ. आवेदक फर्म के पास पिछले 5 वर्षों में किसी भी विनियामक संस्था / सरकारी एजेंसी / सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ फॉरेंसिक ऑडिट का अनुभव होना चाहिए।
- ड. आवेदक फर्म या उसके काम के निर्वहन में फर्म के किसी भी पार्टनर को आईसीएआई द्वारा वंचित नहीं किया गया हो या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण / न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनालबद्ध करना

मूल्यांकन मानदंड

क्र.सं.	विवरण	मूल्यांकन के लिए अधिकतम योग्य अंक
1	<p>बैंक की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए श्रमशक्ति की पर्याप्तता (निविदाकर्ता पात्रता मानदंड के अनुसार भागीदारों की एक सूची प्रदान करेगा जिसमें योग्यता, पदनाम, अनुभव का वर्ष, सदस्यता सदस्यता आदि शामिल होंगे)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 से अधिक पार्टनर - 10 से अधिक पार्टनर लेकिन 15 पार्टनर के बराबर या उससे कम - 5 से अधिक पार्टनर, लेकिन 10 पार्टनर से कम या बराबर 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>
2	<p>पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में फॉरेंसिक ऑडिट में कम से कम एक असाइनमेंट की प्रक्रिया में कार्य अनुभव</p> <ul style="list-style-type: none"> - -3 से अधिक असाइनमेंट - 1 से अधिक असाइनमेंट लेकिन 3 से कम या इसके बराबर असाइनमेंट - कम से कम 1 असाइनमेंट 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>
3	<p>ग्राहकों से संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 से ज्यादा - 1 से अधिक लेकिन 3 से कम या इसके बराबर - कम से कम 1 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>
4	<p>निविदाकर्ता का टर्नओवर (पिछले तीन वर्षों का औसत टर्नओवर):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 करोड़ से ज्यादा - -5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम या उसके बराबर - 2 करोड़ से अधिक या उसके बराबर लेकिन 5 करोड़ से कम या उसके बराबर 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

5	फॉरेंसिक ऑडिट के अनुभव के साथ सीए योग्यता वाले योग्य पेशेवरों की संख्या	
	- 10 से ज्यादा	20
	- 7 से अधिक लेकिन 10 से कम या इसके बराबर	15
	- 5 से अधिक या उसके बराबर लेकिन 7 से कम या उसके बराबर	10

6.10 बोली दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो कृपया उनका पालन करें)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली;
4. अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;

टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियां अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

क. सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) के प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा सहित होगी।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	प्रकार	ब्यौरा
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी की बैंक शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

- क. भुगतान का प्रमाण तकनीकी बोली के लिफाफे के साथ संलग्न होना चाहिए; इसके अभाव में बोली को आगे के मूल्यांकन के लिए नहीं माना जा सकता है। बोलीदाताओं को **अनुलग्नक- IV** में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र को भी प्रस्तुत करना होगा।
- ख. उचित रूप और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकृत माना जाएगा।
- ग. ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- घ. यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा सेवा स्तरीय करार के निष्पादन के बाद 30 दिनों के भीतर पर सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।
- ड. ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है:
- यदि बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियां वापस ले लेता है।
 - यदि बोलीदाता कोई बयान देता है या किसी भी फॉर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो; और
 - सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा/ एसएलए पर हस्ताक्षर करने में विफल होता है।
 - संविदा-पूर्व समग्रता समझौता के भंग होने के मामले में।

6.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। ऐसे अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होंगे। बोली हेतु प्रतिभूति/ ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

6.14 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

यहाँ बोली "सीए फर्म/कंपनी के पैनलबद्ध के लिए प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित होगी

मूल बोली पक्की स्याही में टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

6.15 बोलियों की मुहरबंदी और चिह्नांकन

- रा.आ. बैंक के नीचे दिए गए पते पर लिफाफा संबोधित किया जाएगा:
महाप्रबन्धक
विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, चौथा तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ पता और नाम इंगित किया जाना चाहिए।
- निविदाकर्ता मुख्य लिफाफे में पात्रता पूर्व मानदंड की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ पैनलबद्ध हेतु प्रस्ताव वाले अलग लिफाफे को सील करेगा।
- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर जैसा प्रयोज्य है "आवास वित्त कंपनियों के विशेष/फोरेंसिक लेखा परीक्षा के लिए सीए फर्म/कंपनी का पैनल" लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ठीक से मुहरबंद न हुई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी दायित्व के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को आंकड़ों के साथ-साथ शब्दों में भी दर / राशि का उद्धरण देना चाहिए. यदि शब्दों या आंकड़ों में कोई मात्रा उद्धृत नहीं की जाती है, तो निविदा को अमान्य माना जाएगा।

6.16 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्दिष्ट पते पर निविदा 26-03-2019 को 1800 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। 26-03-2019 को 1800 बजे के बाद कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि निविदा 1800 बजे के बाद प्राप्त होती है तो उसे उसी प्रकार से निविदाकर्ता को वापस प्रेषित कर दिया जाएगा जैसी कि वे प्राप्त होंगी।
- बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने पर, बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा से बाद की समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

6.17 विलंबित बोलियां

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

6.18 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, रा.आ. बैंक समिति द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी।
 - समय, स्थान और निविदाएं खुलने की तिथि: इस आरएफपी दस्तावेज़ के खंड -1 में उल्लेखित विवरण के अनुसार 5 वीं मंजिल, बैठक कक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में निविदाएं खोली जाएंगी।
- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी होना या नहीं होना, आरएफपी लागत एवं ऐसी अन्य जानकारी जो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकाधिकार पर उपयुक्त समझे, तकनीकी बोली खोलते समय घोषित की जाएंगी।

6.19 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, बोलीदाता से उनकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) में होगा और बोली के सार में किसी परिवर्तन की मांग, प्रस्ताव या अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.20 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात / दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यतः क्रम में हैं।
- बैंक द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन उपर्युक्त मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार स्कोरिंग में आने के लिए किया जाएगा। कुल 100 अंकों में से 60 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाली निविदाओं को तकनीकी रूप से योग्य माना जाएगा और आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। हालाँकि पर्याप्त संख्या में निविदाएं ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम स्कोर के अनुसार योग्य नहीं पाई जाती हैं तो बैंक कट ऑफ स्कोर को कम करने का अधिकार रखता है।
- रा.आ. बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बोली में किसी भी मामूली अस्थिरता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो किसी सामग्री विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता के रिश्तेदार के पद को विघात या प्रभावित नहीं करती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

- रा.आ. बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

6.21 प्रस्ताव स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत न हो कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट करें।

6.22 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता तृतीय पक्ष को रा.आ. बैंक की दिशा पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत शिकायत में केवल अपनी ही सेवा / समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा।

6.23 सहायक सेवाओं की यथासमय उपलब्धता

परामर्शदामा के पास इस परियोजना के तहत अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करने हेतु नई दिल्ली-एनसीआर तथा मुंबई में उपयुक्त एवं पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

6.24 बोली खोलना एवं मूल्यांकन

खंड -1 में उल्लेखित पते पर बोली दस्तावेज में उल्लिखित समय और तारीख पर बोलीदाता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बैंक द्वारा बोलियां खोली जाएंगी।

बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित हैं अपनी उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि बोली खोलने की निर्धारित तारीख बैंक के लिए अवकाश घोषित होती है तो बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जाएंगी।

बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और इस दस्तावेज की शर्तों और नियमों को स्वीकार करने वानक बोलीदाताओं को पैनल के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी तकनीकी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

6.25 संशोधन एवं आहरण

- बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/ कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6.26 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि इस आरएफपी हेतु प्रयोज्य संविदा के निबंधन व शर्तें बोलीदाताओं को स्वीकार्य न हो, तो अनुलग्नक IV के अनुसार उन परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता को स्पष्ट तौर पर यह भी वर्णित करना होगा किस संबंध में और सेवा एवं उपकरण किस हद तक विनिर्देश एवं जरूरतों में दिए गए विनिर्देशों से भिन्न/अलग हैं।

6.27 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

6.28 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से संविदा प्रदान होने तक इस बोली से संबंधित किसी भी मामले पर रा.आ.बैंक या इसके सेवा प्रदाताओं के सार्थ संपर्क करना मना है। बोलीदाता की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करने पर बोली निरस्त किया जा सकता है।

6.29 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता का सूचक और उसी के लिए बोलीदाता के हित के रूप में देखी जाएगी।

6.30 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं दी गई है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी रूप में रद्द कर दिया जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

6.31 कानूनों का अनुपालन

- क. परामर्शदाता/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके कारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ख. परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ग. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। .

6.32 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि परामर्शदाता के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- क. इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- ख. यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- ग. ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर-उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- घ. बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

6.33 गलत/अधूरा कथन

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई कथन/घोषणा, निविदा/ बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण या संविदा के किसी भी चरण में बोली/ निविदा स्वीकार होने पर गलत या अधूरा या निविदा कार्य से संबंधित कोई जानकारी रोकना साबित होता है तो उनकी बोली/ निविदा/ संविदा को निम्नलिखित के अतिरिक्त में निरस्त कर दिया जाएगा:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: सीए फर्मों/कंपनियों को पैनलबद्ध करना

निविदा चरण में यदि ऐसा कथन पाया जाता है तो उनकी कुल बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी एवं निविदा/बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

क. संविदा चरण में यदि ऐसे कथन पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय आवास बैंकअपने विवेकानुसार, पीबीजी के आह्वान सहित आरएफपी में संविदा की समाप्ति हेतु दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

7. किसी भी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बैंक का अधिकार:

बैंक के पास कार्य सौंपने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है, इसके बावजूद प्रभावित बोलीदाता या बोली लगाने वाले के प्रति किसी भी प्रकार के दायित्व अथवा प्रभावित बोलीदाता या बोली लगाने वाले को बैंक के कार्यवाई के विषय में सूचित करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी।

इसके अलावा, परामर्शदाताओं का पैनलबद्ध होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि विशेष/फोरेसिक लेखा परीक्षा के लिए परामर्शदाताओं को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। पैनलबद्ध परामर्शदाताओं से जैसे और जब आवश्यक होगा अलग से वाणिज्यिक कोटेशन मांगी जाएगी।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New